

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राजस्थान, जयपुर।
(Swasthya Bhawan Tilak Marg C-Scheme, Jaipur-302005)
(Phone Number-0141-2222683 E-mail- add4ng@gmail.com)

क्रमांक:-नर्सिंग/एएनएम फिक्स/जोन जोधपुर/X-89(17228)/2024/ 02 दिनांक:- 01/01/2025

--: आदेश :-

निदेशालय के आदेश क्रमांक, 309 दिनांक 28.05.2020 एवं 1093 दिनांक 05.10.2020 के द्वारा निम्न अभ्यर्थियों को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी है। कार्मिकाओ द्वारा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत इनकी वास्तविक/काल्पनिक कार्यग्रहण दिनांक से नियमित/स्थाई करते हुये इन्हें परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 8 में दर्शायी गई तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद की पे मैट्रिक्स लेवल एल-08 में न्यूनतम वेतन 26300/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/सुश्री/ श्रीमती)	पदस्थापन जिला	जन्मतिथि	कार्यग्रहण तिथि	कार्मिक की काल्पनिक कार्यग्रहण तिथि	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	02 वर्ष पश्चात परिवीक्षापूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सरोज कुमारी म0स्वा0कार्य0	उप स्वा0केन्द्र अराबा दुतावास खण्ड कल्याणपुर जिला बालोतरा	25.10.1993	04.05.2020	-	07.06.2022	08.06.2022
2	रेणु कुमारी म0स्वा0कार्य0	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी तिंवरी जोधपुर	23.07.1990	08.10.2020	-	07.10.2022	08.10.2022

नोट-क्र.सं. 01 पर अंकित नर्सिंग कर्मों के असाधारण अवकाश उपभोग करने पर कार्मिका के परिवीक्षाकाल में 34 दिवस की अभिवृद्धि की गई है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)

क्रमांक:-नर्सिंग/एएनएम फिक्स/जोन जोधपुर/F-8 Pt-I(27745)/2024/ 02 दिनांक:- 01/01/2025

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जोधपुर।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर/बालोतरा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त दोनो कार्मिकाओ के प्रकरण इतने विलम्ब से निदेशालय को भिजवाने के संबंध में संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारण कर पालना रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित करावें।
- खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कल्याणपुर/तिंवरी।
- संबंधित कार्मिको को द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर कक्ष मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- आदेश/निजी पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :31-12-2024 03:51:06

E- File/Order 2024